प्रा.रा. 1/2 ता 1/5 व 3/1 ता 3/5 — अंतरिम
होचुकी है, बावजूद तामील ... नहीं / अतः
प्रा.रा. 1/2 ता 1/5, 3/1 ता 3/5 के खिलाफ
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात हेतु
20/5/13 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

20/5/13 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 25/6/13 को पेश हो।

25/6/13 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 28/8/13 को पेश हो।

28/8/13 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 7/11/13 को पेश हो।

7/11/13 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 3/12/13 को पेश हो।

3/12/13 पत्रावली पेश आई। उभयपक्ष हाजिर।
वादी द्वारा पेश होकर वाद को आगे नहीं चलाना
बाबत नोट किया। वादी की पहचान अधि.
... ने की। अतः वाद वादी के नोटिस
के आधार पर तथा अधि. वादी की
पहचान पर वाद ... खारिज किया जाता है।
पत्रावली ... होकर ... में ...,
... हो। निर्णय आज ... खुले इजलास
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

वाद ...
पहचान ...
रामेश्वर
पहचान ...
... 3/12/13